

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

कलशचन्द बनाम बाबूलाल काँठ

किस्म मुकदमा - दावा

मु.न. 193/2023

तारीख हुक्म	
21/1/25	पशावली पैरान वहील वाली अफ्फ का.ड.पु.सु. लाल देव सि 4/3/25 को पेश किया
4/3/25	पशावली पैरान वहील वाली अफ्फ, पशावली के पैरान देव बार-बार खुले-माफ्फ के कामकाज लगार लेकिन सारे भी बापे नही कामा / अतः पशावली अफ्फ पैरान अफ्फ हाफिरी के ब्यापिय की जाती है

उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा